बहस

28/8/2017

उभयपक्ष ... उप० ...

... पत्रावली

बहस 13/12/2017

13.12.17 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर। बहस नहीं की। अन्तिम अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस दिनांक 22.2.2018 को पेश हो।

22.3.18 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5.7.2018 को पेश हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.5.2018 | पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 शिविर छापरी मे पेश हुई। पत्रावली मे संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा छापरी की आ० नं० 1361, 1363, 1364, 1838/1365 कुल किता 4 रकबा 1.16 हे० आ० नं० 1362 रकबा 0.02 हे. स्थित है जो तरमीम के बाबत की है। इसी प्रकार मौजा छापरी की आ० नं० 1385, 1390, 1394 कुल किता 3 रकबा

उपखण्ड अधिकारी, कपासन
जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)

अदालत ______ मुकाम ______

बनाम

किस्म मुकदमा ______ नं. ______ सन् ______

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1.64 हे. स्थित है जिसमे प्रार्थिया का 1/2 हिस्सा है। तथा 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का है। जिसका बटवारा खातेदारान के मध्य किया हुआ है। उक्त आराजियात मे अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थिया को बेदखल करने, कब्जा छिनने, आराजियात के उपयोग उपभोग मे बाधा पहुंचाने पर आमदा है जिससे अप्रार्थीगण को अपने नौकर, एजेन्ट आदि को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी है अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जवाब प्रस्तुत हुआ जवाब अनुसार कॉलम संख्या 2 आंशिक स्वीकार किया तथा कॉलम संख्या 1 मे वर्णित आराजियात प्रार्थिया के नाम ही होना स्वीकार की है एवं ये ही प्रार्थिया लगान जमा कराती है बल्कि उक्त आराजियात अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे मे है। कॉलम संख्या 2 मे वर्णित आराजियात मे मौके पर कोई बटवारा नहीं है ना ही प्रार्थिया 1/2 हिस्से पर काश्त करती है उक्त पर भी अपना हक कब्जा बताया है। आपत्ति प्रार्थिया को नुकसान पहुंचाने बेदखल करने कब्जा छिनने व उपयोग उपभोग मे बाधा पहुंचाने की बात झूठी व मन	

सहायक ... उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त... अहकाम ज... हुक्म की ता... में जारी हु...
2. 11.5	है पक्ष आपत्तिकर्ता अप्रार्थीया रेखा। के कब्जे काश्त मे है तो फिर प्रार्थीया को नुकसान पहुचाने का सवाल ही नही उठता है। चूंकि अप्रार्थी रेखा ही का विवादित आराजीयात के कोई लेना देना नही है न ही अप्रार्थी रेखा 2 की कोई भूमि है अनावश्यक ही झूठा मुकदमा बना पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रा.प. न्यूनतथ्यो पर आधारित होने से खारीज फरमाया जावे। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया सलंग्न पत्रावली का अवलोकन किया प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थीया के पक्ष मे बनता है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक मौजा च्यारी की आराजी 1361, 1363, 1364, 1388/1365 कुल किता 4 कुल रकबा 1.16 है तथा मौजा च्यारी की आराजी 1385, 1390, 1394 कुल किता 3 कुल रकबा 1.64 हे० मे प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा है अप्रार्थीगण को इस आशय के पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थीया का कब्जा या तो स्वयं हटावे या ही किसी थैपन्ट, नौकर से हटावे प्रार्थीया को बेदखल नही करे। पत्रावली मिसल शुमार होकर नकल के कम हो। आदेश सुनाया गया।	